शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-4.0
Vol.-3; issue-1 (Jan.-March) 2026
Page No- 127-133
©2026 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

Author's :

Miss Sukeshini Jaipal Khobragade

Assistant Professor, Department of Special Education, Madhav University, Pindawara (Sihori), Rajasthan.

Corresponding Author :

Miss Sukeshini Jaipal Khobragade

Assistant Professor, Department of Special Education, Madhav University, Pindawara (Sihori), Rajasthan.

समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालिकाओं के सामने आने वाली विशिष्ट लैंगिक चुनौतियां : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सारांश : यह विस्तृत शोध पत्र नागपुर, महाराष्ट्र के शहरी और अर्ध-शहरी संदर्भ में समावेशी शिक्षा के ढांचे के भीतर दिव्यांग बालिकाओं द्वारा सामना की जाने वाली बहुस्तरीय और अंतर्विभागीय चुनौतियों का एक गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि दिव्यांग बालिकाएं भारतीय सामाजिक स्तरीकरण में 'दोहरे भेदभाव' की शिकार होती हैं, जहाँ उनकी 'दिव्यांगता' और उनका 'लिंग' एक-दूसरे के प्रभावों को बढ़ाते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी के हाशिए पर धकेल देते हैं। यह अध्ययन नागपुर महानगर पालिका और जिला परिषद स्कूलों की ढांचागत स्थिति, सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो बनाम सिटी बस) की सुगमता, और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जैसी गंभीर, किंतु अक्सर उपेक्षित, समस्याओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रगतिशील प्रावधानों के बावजूद, नागपुर के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में भारी अंतराल विद्यमान है। अध्ययन में पाया गया है कि जहां नागपुर मेट्रो ने सुगमता के अंतरराष्ट्रीय मानक स्थापित किए हैं, वहीं 'अंतिम मील संपर्क' (Last Mile Connectivity) और स्कूलों के भीतर बुनियादी सुविधाओं (जैसे सुलभ शौचालय) का अभाव बालिकाओं की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त, विदर्भ क्षेत्र की सांस्कृतिक मान्यताओं, 'कर्म' के सिद्धांत और पितृसत्तात्मक संरचनाओं का विश्लेषण करते हुए, यह शोध पत्र नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के लिए ठोस, डेटा-आधारित सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बालिकाएँ, दोहरा भेदभाव, नागपुर, मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन, ढांचागत हिंसा, अन्तर्विभा-गीयता, अंतिम मिल संपर्क, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020।

1. प्रस्तावना

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य : शिक्षा को

आधुनिक समाज में सामाजिक गतिशीलता और सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। यह न केवल कौशल अर्जन का माध्यम है, बल्कि यह एक समाजीकरण की प्रक्रिया भी है जो व्यक्ति को नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां सामाजिक असमानताएं जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर गहराई से निहित हैं, शिक्षा समानता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। हालांकि, जब हम 'दिव्यांगता' के चश्मे से भारतीय शिक्षा प्रणाली को देखते हैं, तो बहिष्कार की परतें स्पष्ट होने लगती हैं। और जब यह दिव्यांगता 'लिंग' के साथ मिलती है, तो यह बहिष्कार और अधिक जटिल, गहरा और संरचनात्मक हो जाता है।

एक वरिष्ठ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, दिव्यांग बालिकाएं भारतीय समाज में एक अद्वितीय और अक्सर अदृश्य स्थान रखती हैं। वे "हाशिए के भी हाशिए" पर स्थित हैं। अनीता घई जैसी प्रमुख नारीवादी दिव्यांगता विद्वानों ने इस स्थिति को "दोहरे भेदभाव" के रूप में परिभाषित किया है। समाजशास्त्रीय रूप से, यह स्थिति केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक निर्माण है। एक दिव्यांग बालिका केवल अपनी शारीरिक या मानसिक सीमाओं के कारण ही पीड़ित नहीं होती, बल्कि उन सामाजिक दृष्टिकोणों, पितृसत्तात्मक मानदंडों और ढांचागत बाधाओं के कारण भी पीड़ित होती है जो उसे 'अपूर्ण', 'बोझ' या 'अलैंगिक' मानते हैं।

नागपुर, जो महाराष्ट्र की उप-राजधानी और विदर्भ क्षेत्र का सबसे प्रमुख शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र है, इस अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नागपुर एक विरोधाभासी शहर है। एक ओर, यह 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत तेजी से आधुनिक हो रहा है, जहां नागपुर मेट्रो जैसी परियोजनाएं समावेशिता के नए मानक स्थापित कर रही हैं। दूसरी ओर, यह विदर्भ के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो कृषि संकट, गरीबी और सामाजिक रुढ़ियों से जूझ रहा है। नागपुर में शैक्षिक परिदृश्य भी बदल रहा है, जहां नागपुर महानगर पालिका अब निजी भागीदारी (जैसे आकांक्षा फाउंडेशन) के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रही है। इन बदलावों के बीच, दिव्यांग बालिकाओं की स्थिति का आकलन करना समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। क्या 'स्मार्ट सिटी' का लाभ इन बालिकाओं तक पहुंच रहा है, या वे आधुनिकीकरण की दौड़ में पीछे छूट रही हैं?

1.2 समस्या का कथन : समावेशी शिक्षा का दर्शन यह मानता है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों, एक ही मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होने चाहिए। यह 'एकीकरण' से अलग है, जहां बच्चे को सिस्टम में फिट होना पड़ता है; 'समावेश' में सिस्टम को बच्चे की जरूरतों के अनुसार बदलना होता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में मजबूत कानूनी जनादेश प्रदान किया है।

तथापि, नागपुर के संदर्भ में, समस्या केवल नामांकन तक सीमित नहीं है। समस्या स्कूल के भीतर और स्कूल तक पहुंचने की यात्रा में निहित है। दिव्यांग बालिकाओं के लिए विशिष्ट चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

1. **ढांचागत हिंसा:** स्कूलों में लड़कियों के लिए, विशेषकर दिव्यांग लड़कियों के लिए, सुलभ शौचालयों का अभाव। यह केवल सुविधा की कमी नहीं है, बल्कि इसे समाजशास्त्रीय रूप से 'ढांचागत हिंसा' कहा जा सकता है जो उन्हें शिक्षा से बाहर धकेलती है। नागपुर महानगर पालिका की स्मार्ट टॉयलेट योजना में देरी और अनापत्ति प्रमाण पत्र के मुद्दों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
2. **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन:** यह एक नितांत निजी लेकिन गहरा सामाजिक मुद्दा है। दिव्यांग बालिकाओं, विशेषकर बौद्धिक रूप से अक्षम बालिकाओं के लिए, मासिक धर्म प्रबंधन के लिए आवश्यक समर्थन और गोपनीयता स्कूलों में नदारद है।
3. **सुरक्षा और परिवहन:** घर से स्कूल तक की यात्रा। जहां मेट्रो सुलभ है, वहां तक पहुंचने के लिए फुटपाथ और बसें दुर्गम और असुरक्षित हैं।
4. **सामाजिक कलंक:** 'कर्म' के सिद्धांत और दिव्यांगता को 'पाप' मानने की मानसिकता विदर्भ में आज भी प्रबल है, जो माता-पिता को बालिकाओं की शिक्षा में निवेश करने से रोकती है।

1.3 शोध के उद्देश्य : इस विस्तृत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. नागपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में आने वाली भौतिक और ढांचागत बाधाओं (परिवहन, शौचालय, रैंप) का विश्लेषण करना।
2. 'दोहरे भेदभाव' (लिंग और दिव्यांगता) के समाजशास्त्रीय आयामों की जांच करना और यह समझना कि यह कक्षा, परिवार और समुदाय में कैसे प्रकट होता है।
3. मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और यौन सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दिव्यांग बालिकाओं के विशिष्ट अनुभवों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करना।
4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के आलोक में नागपुर महानगर पालिका और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण करना।

2. साहित्य समीक्षा : इस खंड में, हम दिव्यांगता, लिंग और शिक्षा के अंतर्संबंधों पर मौजूदा अकादमिक साहित्य, नीतिगत दस्तावेजों और अनुभवजन्य शोध का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह समीक्षा हमें नागपुर के विशिष्ट संदर्भ को व्यापक राष्ट्रीय और वैश्विक विमर्श में स्थापित करने में मदद करेगी।

2.1 नारीवादी दिव्यांगता अध्ययन: सैद्धांतिक ढांचा : भारतीय संदर्भ में दिव्यांग महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए अनीता घई का कार्य मौलिक है। घई (2002) तर्क देती हैं कि भारत में दिव्यांग महिलाएं "अदृश्य" हैं। मुख्यधारा का नारीवाद अक्सर 'सक्षम शरीर' महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित रहा है, जबकि दिव्यांगता अधिकार आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से 'पुरुष' दिव्यांगों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। परिणामस्वरूप, दिव्यांग महिलाएं एक "शून्य" में स्थित हैं। घई का कथन "एक तो लड़की, ऊपर से अपाहिज" भारतीय समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जो दिव्यांगता को स्त्रीत्व के लिए एक अयोग्यता मानती है।

साहित्य यह सुझाव देता है कि दिव्यांग महिलाओं को अक्सर 'अलैंगिक' माना जाता है, यानी उनमें यौन इच्छाएं नहीं होतीं और वे विवाह या मातृत्व के योग्य नहीं होतीं। यह धारणा उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और यौन शिक्षा से वंचित करती है। विडंबना यह है कि एक तरफ उन्हें अलैंगिक माना जाता है, और दूसरी तरफ वे यौन हिंसा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं क्योंकि वे विरोध करने या भागने में असमर्थ हो सकती हैं। यह 'विरोधाभासी अदृश्यता' उनकी शिक्षा और सामाजिक समावेश में एक बड़ी बाधा है।

2.2 भारत में समावेशी शिक्षा की नीतिगत यात्रा : भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का इतिहास 'विशेष स्कूलों' से शुरु होकर 'एकीकृत शिक्षा' और अंततः 'समावेशी शिक्षा' तक विकसित हुआ है।

- **कोठारी आयोग (1964-66):** ने पहली बार दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाने की बात की थी।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016:** यह एक ऐतिहासिक कानून है जो दिव्यांगता के मॉडल को 'दान' से 'अधिकार' में बदलता है। धारा 16 के तहत, यह सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी शैक्षणिक संस्थानों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने और भेदभाव न करने का आदेश देता है। यह दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट सुरक्षा और अधिकारों की भी गारंटी देता है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** यह नीति "सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों" की अवधारणा पेश करती है, जिसमें दिव्यांग बच्चे और बालिकाएं शामिल हैं। यह नीति "बाधा मुक्त पहुंच", "विशेष शिक्षकों की नियुक्ति" और "जेंडर इंक्लूज़न फंड" (लिंग समावेश कोष) की बात करती है।

साहित्य समीक्षा यह इंगित करती है कि नीतियों के स्तर पर भारत ने काफी प्रगति की है, लेकिन कार्यान्वयन के स्तर पर, विशेष रूप से नागपुर जैसे टियर-2 शहरों में, स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। 'सर्व शिक्षा अभियान' और अब 'समग्र शिक्षा' के तहत संसाधन शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उनकी संख्या अपर्याप्त है।

2.3 विदर्भ और महाराष्ट्र: सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ : महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य माना जाता है, लेकिन विदर्भ क्षेत्र में विकास का असंतुलन स्पष्ट है। यहां के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण

अभी भी पारंपरिक मान्यताओं से प्रभावित है।

- **'कर्म' और कलंक:** शोध बताते हैं कि कई परिवार दिव्यांगता को "पिछले जन्मों के पापों का फल" या "दैवीय दंड" मानते हैं। यह अंधविश्वास विशेष रूप से लड़कियों के मामले में हानिकारक होता है। यदि परिवार के पास सीमित संसाधन हैं, तो वे दिव्यांग लड़के की शिक्षा या इलाज पर खर्च करना पसंद करते हैं, जबकि लड़की को घर पर ही रखा जाता है।
- **शिक्षकों का दृष्टिकोण:** पुणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में किए गए अध्ययन (जैसे बंसल, 2016; डिसाले, 2017) बताते हैं कि शिक्षकों का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा की सफलता में निर्णायक होता है। यद्यपि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले और शहरी शिक्षकों में सकारात्मकता बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश शिक्षक अभी भी मानते हैं कि दिव्यांग बच्चों को 'विशेष स्कूलों' में ही रहना चाहिए क्योंकि सामान्य स्कूलों में संसाधन और प्रशिक्षण नहीं है।

2.4 शैक्षिक बहिष्कार के रूप में ढांचागत बाधाएं : साहित्य यह भी उजागर करता है कि भारत में समावेशी शिक्षा अक्सर "भौतिक डंपिंग" बनकर रह जाती है—बच्चे को स्कूल में प्रवेश तो मिल जाता है, लेकिन उसे सीखने के अवसर नहीं मिलते। नागपुर के संदर्भ में, शोध बताते हैं कि सुलभ शौचालयों की कमी, अनुचित परिवहन और सहायक तकनीकों का अभाव प्रमुख मुद्दे हैं। बीएमसी स्कूलों पर किया गया एक अध्ययन (जो नागपुर के लिए भी प्रासंगिक है) दिखाता है कि केवल 14-15% स्कूलों में ही सुलभ सुविधाएं थीं।

3. शोध प्रविधि : इस अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक और विश्लेषणात्मक है। चूंकि यह एक डेस्क-आधारित शोध है, इसलिए इसमें प्राथमिक डेटा संग्रह के बजाय द्वितीयक स्रोतों और उपलब्ध शोध सामग्री का व्यापक मेटा-विश्लेषण किया गया है।

3.1 अध्ययन क्षेत्र: नागपुर : नागपुर को अध्ययन क्षेत्र के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहरी केंद्र है जहाँ विकास और पिछड़ेपन का अनूठा मिश्रण है। यहां नागपुर मेट्रो जैसी अत्याधुनिक परियोजनाएं और मलिन बस्तियां दोनों मौजूद हैं, जो समावेशिता के अध्ययन के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला प्रदान करती हैं।

3.2 डेटा स्रोत : अध्ययन में निम्नलिखित डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया है:

1. **सरकारी दस्तावेज और रिपोर्ट:** भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग की रिपोर्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दस्तावेज, नागपुर जिला परिषद और महानगर पालिका के परिपत्र और योजनाएं।
2. **अकादमिक शोध पत्र:** रिसर्चगेट, पबमेड और अन्य अकादमिक पत्रिकाओं से प्राप्त दिव्यांगता, लिंग और शिक्षा पर शोध लेख।
3. **केस स्टडीज और एनजीओ रिपोर्ट:** नागपुर स्थित गैर-सरकारी संगठन (जैसे विश्वंभर शिक्षण संस्था, प्रकृति, सैंडन्या संवर्धन संस्था) की रिपोर्ट और केस स्टडीज जो जमीनी हकीकत को दर्शाती हैं।
4. **मीडिया रिपोर्ट:** टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नागपुर की शिक्षा, परिवहन और स्वच्छता पर खोजी रिपोर्टें।

3.3 विश्लेषण की पद्धति : डेटा विश्लेषण के लिए **'अंतर्विभागीयता' (Intersectionality)** के समाजशास्त्रीय ढांचे का उपयोग किया गया है। यह ढांचा हमें यह समझने की अनुमति देता है कि दिव्यांगता, लिंग और सामाजिक स्थिति कैसे एक-दूसरे को काटते हैं।

4. डेटा विश्लेषण I: संरचनात्मक और संस्थागत परिदृश्य

4.1 नागपुर महानगर पालिका के स्कूल: पहुंच और सुविधा का संकट : नागपुर महानगर पालिका लगभग 114 स्कूलों का संचालन करती है, जो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सेवा करते हैं। हाल के वर्षों में, मनपा ने गुणवत्ता सुधार के लिए आकांक्षा फाउंडेशन जैसे निजी भागीदारों के साथ मिलकर अंग्रेजी माध्यम के

स्कूल शुरु किए हैं, जिनकी भारी मांग देखी गई है। लेकिन समावेशिता के लेंस से देखने पर स्थिति गंभीर नजर आती है।

तालिका 1: नागपुर के स्कूलों में ढांचागत स्थिति (एक अवलोकन)

सुविधा	स्थिति	दिव्यांग बालिकाओं पर प्रभाव
सुलभ शौचालय	अत्यंत कम। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं या वे गंदे/टूटे हुए हैं।	मूत्र पथ संक्रमण का खतरा, पानी न पीना, मासिक धर्म के दौरान स्कूल से अनुपस्थिति।
रैंप और रेलिंग	अधिकांश पुराने स्कूलों में नदारद या मानक अनुसार नहीं।	व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए कक्षाओं तक पहुंच असंभव।
कक्षा का वातावरण	भीड़भाड़, रोशनी की कमी।	संवेदी समस्याओं वाले बच्चों (जैसे ऑटिज्म) के लिए कष्टदायक।

अध्ययन बताते हैं कि नागपुर के कई सिविक स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की स्थिति दयनीय है। शिव सेना और अन्य दलों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों ने इस मुद्दे को उजागर किया है कि कैसे ताज़ाबाद जैसे इलाकों के स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं हैं। एक दिव्यांग लड़की के लिए, जिसे शौचालय का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त स्थान और सहारे की आवश्यकता होती है, सामान्य शौचालय का उपयोग करना असंभव और असुरक्षित होता है।

4.2 "स्मार्ट सिटी" का विरोधाभास: मेट्रो बनाम बस सेवा : नागपुर की परिवहन व्यवस्था समावेशिता के अध्ययन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो "उत्कृष्टता के द्वीप" और "बहिष्कार के महासागर" के बीच के अंतर को दर्शाता है।

- **नागपुर मेट्रो:** समावेशिता का मॉडल नागपुर मेट्रो (महामेट्रो) ने सुगमता के मामले में सराहनीय कार्य किया है। स्टेशनों पर व्हीलचेयर, मानक रैंप, लिफ्ट, दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्शनीय पथ, और ऑडियो घोषणाएं उपलब्ध हैं। महामेट्रो के आंकड़ों के अनुसार, एक वर्ष में 2,222 से अधिक दिव्यांग यात्रियों को सहायता प्रदान की गई। हाल ही में, मेट्रो कर्मचारियों को दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए 'आत्मदीपम सोसाइटी' के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।
- **स्टारबस और अंतिम मील की कनेक्टिविटी:** बहिष्कार का यथार्थ इसके विपरीत, शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली बस सेवा (स्टारबस) और सड़कें दिव्यांगों के लिए शत्रुतापूर्ण हैं। यद्यपि 'तेजस्विनी' (महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक बसें) जैसी पहल शुरू की गई हैं, लेकिन फुटपाथों की स्थिति—जो टूटे हुए हैं, ऊबड़-खाबड़ हैं और अतिक्रमण से भरे हैं—व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं या बैसाखी का उपयोग करने वाली लड़कियों के लिए चलना असंभव बना देती हैं।

समाजशास्त्रीय निहितार्थ: एक दिव्यांग बालिका मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचेगी? मेट्रो सुलभ है, लेकिन घर से मेट्रो स्टेशन तक का रास्ता (अंतिम मील) दुर्गम है। यह "खंडित गतिशीलता" उसकी स्वतंत्रता को सीमित करती है और उसे परिवार के पुरुष सदस्यों या महंगे निजी परिवहन (ऑटो/टैक्सी) पर निर्भर बनाती है।

5. डेटा विश्लेषण II: लैंगिक चुनौतियां और सामाजिक वास्तविकता

5.1 मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन: मौन बहिष्कार का कारण : नागपुर और महाराष्ट्र में किए गए शोध बताते हैं कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन दिव्यांग बालिकाओं के लिए शिक्षा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

- **ज्ञान और स्वायत्तता का अभाव:** बौद्धिक अक्षमता या विकासात्मक दिव्यांगता वाली किशोरियों के लिए मासिक धर्म एक भयावह अनुभव हो सकता है यदि उन्हें उचित पूर्व-ज्ञान न दिया जाए। कोल्हापुर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में किए गए अध्ययन बताते हैं कि देखभालकर्ताओं (माताओं) को अपनी बेटियों को यह समझाने में बहुत कठिनाई होती है कि पैड कैसे बदला जाए या स्वच्छता कैसे बनाए रखी जाए।

- **स्कूलों में गोपनीयता की कमी:** जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नागपुर के स्कूलों में सुलभ शौचालयों और पानी की कमी है। एक दिव्यांग लड़की, जिसे शारीरिक सीमाओं के कारण खुद को साफ करने में अधिक समय लगता है, स्कूल के गंदे और दरवाजा-रहित शौचालयों में असुरक्षित महसूस करती है।

5.2 यौन सुरक्षा और हिंसा का भय : समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, दिव्यांग बालिकाएं यौन हिंसा के लिए "आसान शिकार" मानी जाती हैं।

- **संवेदनशीलता:** मूक-बधिर लड़कियां या बौद्धिक रुप से दिव्यांग लड़कियां अक्सर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को बता नहीं पातीं। शारीरिक रुप से दिव्यांग लड़कियां भाग नहीं सकतीं।
- **परिवहन में असुरक्षा:** नागपुर में स्टारबस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं रही हैं। यद्यपि कुछ महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भीड़भाड़ वाली बसों में दिव्यांग लड़कियों के लिए छेड़छाड़ का जोखिम अधिक होता है क्योंकि वे अपनी रक्षा करने में अक्षम होती हैं।
- **सहायता की आड़ में शोषण:** कई बार बस कंडक्टर या राहगीर "मदद" करने के बहाने अनुचित स्पर्श करते हैं। यह सूक्ष्म हिंसा दिव्यांग महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों को डरावना बना देती है।

5.3 शिक्षक और सहकर्मी दृष्टिकोण: उत्पीड़न और उपेक्षा : स्कूल के भीतर का सामाजिक वातावरण भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है।

- **शिक्षकों का दृष्टिकोण:** महाराष्ट्र में किए गए सर्वेक्षण बताते हैं कि यद्यपि नीतियों में बदलाव आया है, लेकिन कई शिक्षक अभी भी मानते हैं कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना "विशेषज्ञों" का काम है।
- **उत्पीड़न (Bullying):** दिव्यांग बच्चों को, विशेषकर जिन बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं (जैसे ऑटिज्म) या शारीरिक विकृतियां हैं, उन्हें सहपाठियों द्वारा चिढ़ाने, नामों से पुकारने और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। भारत में किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि लगभग 60% बच्चे उत्पीड़न का शिकार होते हैं, और दिव्यांग बच्चों में इसका जोखिम और भी अधिक होता है।

6. संस्थागत हस्तक्षेप: राज्य और नागरिक समाज की भूमिका

6.1 गैर-सरकारी संगठनों का योगदान: रिक्तियों को भरना : नागपुर में कई संस्थाएं समावेशी शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं:

1. **विश्वंभर शिक्षण संस्था:** नागपुर स्थित इस संस्था ने बौद्धिक रुप से दिव्यांग लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचाना। जब उन्होंने देखा कि सामान्य समर कैंपों में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को जगह नहीं मिलती, तो उन्होंने विशेष रुप से इनके लिए समर कैंप शुरु किए। उन्होंने "लीलाताई देशमुख" विशेष स्कूल और "इंदुताई ढोबले" व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो विशेष रुप से लड़कियों के लिए है।
2. **प्रकृति:** यह संस्था नागपुर और विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करती है। इनका 'पंचायत सखी' कार्यक्रम महिलाओं को स्थानीय शासन में नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है।
3. **सैंडन्या संवर्धन संस्था:** यह संस्था नागपुर में ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करती है, जो उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है।

6.2 सरकारी योजनाएं और उनका प्रभाव

- **दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग और समग्र क्षेत्रीय केंद्र नागपुर:** नागपुर में 'समग्र क्षेत्रीय केंद्र' की स्थापना एक सकारात्मक कदम है, जो कौशल विकास और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है।
- **जिला परिषद की पहल:** नागपुर जिला परिषद, समग्र शिक्षा अभियान के तहत, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता और सहायक उपकरण प्रदान करती है।

- **छात्रवृत्ति और भत्ते:** दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और लड़कियों के लिए उपस्थिति भत्ता जैसी योजनाएं आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास करती हैं।

7. निष्कर्ष : नागपुर, महाराष्ट्र में दिव्यांग बालिकाओं की समावेशी शिक्षा पर किया गया यह समाजशास्त्रीय अध्ययन एक जटिल और चिंताजनक चित्र प्रस्तुत करता है।

1. **नीति और व्यवहार में अंतर:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रदान किए गए मजबूत कानूनी ढांचे के बावजूद, नागपुर के स्कूलों में जमीनी वास्तविकता "समावेश" से कोसों दूर है।
2. **दोहरे भेदभाव की पुष्टि:** अध्ययन इस परिकल्पना की पुष्टि करता है कि दिव्यांग बालिकाएं 'दोहरे भेदभाव' का सामना करती हैं। उन्हें न केवल एक अक्षम शरीर के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक 'बोझिल' महिला शरीर के रुप में भी देखा जाता है जिसकी सुरक्षा और पवित्रता परिवार के लिए चिंता का विषय है।
3. **मासिक धर्म और स्वच्छता:** मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं का अभाव शैक्षिक बहिष्कार का एक प्रमुख, अदृश्य कारण है। जब तक स्कूलों में पानी और निजता की व्यवस्था नहीं होगी, समावेशी शिक्षा केवल एक नारा बनकर रह जाएगी।
4. **सकारात्मक संकेत:** नागपुर मेट्रो की सुगमता और स्थानीय संस्थाओं के प्रयास आशा की किरण हैं। ये दिखाते हैं कि यदि सही इरादे और डिजाइन हों, तो समावेश संभव है।

8. **संदर्भ सूची :**

1. Ghai, A. (2002). *Women with Disabilities in India: Issues and Concerns*. ResearchGate.
2. Government of India. (2016). *The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016*. Ministry of Law and Justice.
3. Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.
4. Times of India. (2018). *Sena blames ally BJP for no girls toilet in Nagpur Municipal Corporation school*.
5. Times of India. (2025). *Nagpur Metro assists over 2,200 specially-abled passengers in a year*.
6. Times of India. (2024). *NMC's smart toilets plan stuck as NIT, NHAI fail to issue NOCs*.
7. UNICEF & WaterAid. (2017). *Menstrual Hygiene Management for Adolescent Girls with Disabilities*.
8. Vishwambhar Shikshan Sanstha. (n.d.). *Achievements and Special Schools for ID Girls in Nagpur.*
9. Nagpur Zilla Parishad. (2025). *Schemes for CWSN and Inclusive Education Circulars*.
10. Bansal, S. (2016). *Attitude of Teachers towards Inclusive Education in India*.

•